



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
ई-मेल/E-mail: registrar@mgahv.in

क्रमांक:006/स्था./का/2020/07/1875
दिनांक : 04.2023

परिपत्र

हम अपने सामाजिक जीवन में कभी-कभी किसी गैर-सरकारी संस्था/गैर-लाभकारी संगठन से संबंधित होते हैं जो हमारे नागरिक जीवन का हिस्सा है परन्तु विश्वविद्यालय को उसकी सूचना नहीं होने से कभी-कभी कठिनाई का सामना करने पड़ता है।

अतः विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मियों से अपेक्षा की जाती है कि यदि वे इस विश्वविद्यालय के बाहर किसी अशासकीय संगठन/संस्था से किसी भी रूप में कोई दायित्व धारण किए हुए हैं तो उसकी सूचना उस संस्था की प्रकृति के साथ विश्वविद्यालय को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करवा दें ताकि उसे संबंधित शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जा सके।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है।

क्रादर नवाज़ खान
(कुलसचिव)
28/04/23

प्रति : समस्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों।

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा):

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता, विभाग अध्यक्ष/ प्रमुख, केंद्र निदेशक
4. प्रभारी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन केंद्रीय पुस्तकालय
5. अकादमिक निदेशक: क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज
6. प्रभारी: क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता
7. प्रभारी : सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी मराठी भाषा तथा तत्त्वज्ञान अध्ययन केंद्र, रिद्धिपुर, अमरावती
8. कुलसचिव कार्यालय
9. वित्त विभाग
10. लीला, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
11. रक्षित पत्रावली।